मध्य प्रदेश में नई शहरी विकास योजनाएं

2463. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस० एस० सुरजेवाला:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नई शहरी विकास योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य की वर्तमान शहरी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटश्वरलू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छोटे और मझौले कस्बों का एकीकृत विकास की योजना (आईडीएसएमटी) के तहत इसके आरम्भ होने से (1979-80) केन्द्रीय सहायता के रूप में मध्य प्रदेश में 65 कस्बों के लिए 1932.82 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की गयी है। सितम्बर, 1995 तक केन्द्रीय शेयर, राज्य शेयर और संस्थागत वित्त के प्रति राज्य सरकार द्वारा 2710.25 लाख रुपये के व्यय होने की सूचना दी गई है।

कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों द्वारा दिया गया ज्ञापन

2564. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:**
श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कश्मीरी विस्थापित लोगों के एक शिष्टमंडल ने कुछ माह पूर्व सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रह्मण्यन):

(क) से (ग) कश्मीरी प्रवासियों के विभिन्न प्रतिनिधियों ने उन्हें इस समय दी जा रही सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर ज्ञापन दिए हैं जिनमें उन्होंने उन्हें स्थायीवत् रूप से बसाने, कश्मीर घाटी में पीछे छूट गई उनकी सम्पत्ति इत्यादि की सुरक्षा की मांग की है। जरूरतमंद प्रवासियों को राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों जहां वे रह रहे हैं, द्वारा भरण-पोषण सहायता तथा अन्य सुविधाएं तब तक उपलब्ध कराई जा रही हैं जब तक कि उनकी वापसी के लिए अनुकूल माहौल तैयार नहीं हो जाता है। सरकार की नीति उन्हें घाटी से बाहर स्थाई रूप से बसाने की नहीं है। जम्मू व कश्मीर सरकार ने घाटी में छूट गई उनकी सम्पत्ति की सूची बनाने और उसकी सुरक्षा करने के लिए कदम उठाए हैं। काश्मीरी प्रवासियों की समस्याओं और मांगों की सरकार द्वारा सतत् पुनरीक्षा की जा रही है तथा उनकी दशा में सुधार लाने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं।

Transfer Committee in DDA

2465. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any committee has been set up in DDA for transfer and posting of AEs/JEs;

(b) whether officials are transferred on maturity of their term;

(c) whether these facts are monitored regularly by the DDA; and

(d) what period has been fixed as posting period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) Yes, Sir. Transfer and posting Committee have been set up in DDA for transfer and posting of Assistant Engineers/Junior Engineers.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) The following periods have been fixed for posting of Assistant Engineers/ Junior Engineers:—

(i) Six years in a Zone; out of which a minimum of two years in planning.

(ii) Two years in a sensitive post of AEs/JEs.

(iii) Two years in Vigilance.

(iv) Three years in Quality Control/ Material Management Units.